Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2865 / 2003 / कोटा

1. बादाम बाई बेवा नेनगा
2. शंकर पुत्र नेनगा
3. जगमोहन पुत्र नेनगा
4. ओमप्रकाश पुत्र नेनगा
5. मोहनी पुत्री नेनगा
6. मंजू पुत्री नेनगा

समस्त जाति धोबी निवासीगण ग्राम इटावा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

....अपीलांट्स

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा
2. कन्याबाई बेवा माधोलाल जाति मीणा
3. राधेश्याम पुत्र माधोलाल जाति मीणा
4. मुकुट बिहारी पुत्र माधोलाल जाति मीणा
5. बद्रीबाई पुत्री माधोलाल जाति मीणा
6. सुमित्रा बाई पुत्री स्व. माधोलाल जाति मीणा
7. अनारबाई बेवा रामेश्वर जाति मीणा
8. चन्द्रप्रकाश | पुत्र स्व.रामेश्वर नाबालिग जरिए वली माता
9. हेमन्त कुमार | अनारबाई बेवा रामेश्वर जाति मीणा

समस्त निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री खडगसिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक 22.3.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण बजरंगलाल आदि ने धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा ने अपने निर्णय दिनांक 22–4–2002 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–2002 के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–2003 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट पक्ष की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

4. वादीगण बजरंग लाल व माधोलाल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार, कल्याणमल, लोकचंद, बिरधीलाल व नेनगा के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 692 के हाल खसरा नंबर 2510 तथा साबिक खसरा नंबर 1643 के हाल खसरा नंबर 2495 की भूमि में से प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 का नाम हटाकर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया। इस वाद का प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की साक्ष्य दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 22–4–2002 द्वारा खसरा नंबर 2510 में से

रकबा 0.86 हेक्टर पूर्व की तरफ का रकबा 0.70 हेक्टर को छोडकर वादीगण को खातेदार घोषित किया तथा खसरा नंबर 2495 रकबा 0.21 हेक्टर पर प्रतिवादी नं. 5 नेनगा के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने एवं खसरा नंबर 2507 को वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामे में बताये अनुसार रामरतन व कल्याणमल की दुकान के बीच की 18 फुट चौडी खसरा नंबर 2507 की सीमा तक वादीगण व प्रतिवादी नंबर 2,3 के कायम मुकामान को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित करते हुए खसरा नंबर 2510 में से पूर्व की तरफ की 0.70 हेक्टर भूमि सिवायचक यथावत दर्ज रहने का आदेश पारित किया है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–4–2002 के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई उनमें बंदोबस्त से पूर्व संवत् 2033 में खसरा नंबर 692 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 1643 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा पर वादीगण बजरंगलाल व माधोलाल बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे हैं। इसी प्रकार वादीगण द्वारा पेश नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–7) के अनुसार खसरा नंबर 1643 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के नये नंबर 2495 रकबा 0.21 हेक्टर एवं 692 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के नये नंबर 2510 रकबा 1.56 हेक्टर कायम किये गये। नकल मिसल बंदोबस्त संवत् 2041 से 2060 (प्रदर्श–2) के अनुसार खसरा नंबर 2510 रकबा 1.56 हेक्टर सिवायचक दर्ज की गई एवं नकल मिसल बंदोबस्त संवत् 2041 से 2060 (प्रदर्श–3) में खसरा नंबर 2495 रकबा 0.21 हेक्टर नेनगा पुत्र धूलीलाल धोबी के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। इसके आधार पर विचारण न्यायालय ने यह माना है कि खसरा नंबर 692 में से केवल 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही सिलिंग में अवाप्त की गई थी परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा 4 बीघा 11 बिस्वा के बजाय संपूर्ण नंबर को ही सिवायचक दर्ज कर दिया। इसी प्रकार गत खसरा नंबर 1643 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा बंदोबस्त से पूर्व वादीगण के खातेदारी की थी, यह खसरा नंबर सीलिंग में अवाप्त नहीं किया गया था और न ही प्रतिवादी नंबर 5 को आवंटन किया गया था। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निष्कर्ष पारित किया है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं।

6. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–2003 एवं सहायक कलक्टर इटावा का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–2002 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य